

पत्र संख्या : 7 ब/4702 योजना-16/2018 ज.स.- 119
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 16/9/19

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम लघु सिंचाई गणना के लिए राशि रूपये 49.0660 लाख (उनचास लाख छः हजार छः सौ मात्र) के व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-


प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-24/2015-16, दिनांक-13.08.2015 एवं 56/2017-18, दिनांक- 14.11.2017;
Online AA- 1620, Dated- 23.11.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 37- रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड- 50C 470200101370759	49.0660
आवंटित राशि - रु. उनचास लाख छः हजार छः सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। यह आवंटन शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 6.9.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 119

राँची, दिनांक :- 16/9/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, झोरण्डा/राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/दुमका/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 16.9.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 119

राँची, दिनांक :- 16/9/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अरुण कुमार सिंह) 9.9.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 119

दिनांक 16/9/19

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-37-रेसनलाईजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्ट्रिक्टिक
विस्तृत शीर्ष-07-59 (अन्य व्यय)
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध - 300.00 लाख
विपत्र कोड- 50C470200101370759

(राशि लाख में)

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वर्ष 2019-20 में					Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि	मार्च 19 तक व्यय	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)			24/15-16, दि०-13.08.15 56/17-18 दि०-14.11.17 Online AA- 1620/ 23.11.2017	6	7	8	9	10	11	12	13
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)	लघु सिंचाई, राँची	पंचम लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य		343.7426	0.464	0.000	16.43700	16.43700	16.90100	58140	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)				343.7426	1.03520	0.000	6.70700	6.70700	7.74220	58147	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)				0.00	0.00	0.000	2.63800	2.63800	2.63800	58156	
5	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका सिंचिर देवघर (DGRMIR001)	लघु सिंचाई, दुमका			343.7426	0.57512	0.000	21.28400	21.28400	21.85912	58157	
कुल					343.7426	6.7526	0.000	49.066	49.066	55.81862		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 16.9.19
अपर मुख्य सचिव